

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1(107) वन / 2020

जयपुर, दिनांक:— 05.01.2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:—Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227).

संदर्भ:—आपका पत्रांक एफ 14 ()2019/झालावाड रोड्स/एफसीए/प्रमुवस/2767 दिनांक 29.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, झालावाड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में झालरापाटन, गिंदोर रेलवे स्टेशन झिकरिया किशनपुरा दुर्गपुरा गांगरोन (एम.डी.आर-227) हेतु 0.9990 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.10.2022 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान पत्रांक एफ 14 ()2019/झालावाड रोड्स/एफसीए/प्रमुवस/4302 दिनांक 23.12.2022 एवं पत्रांक 7993 दिनांक 25.10.2023 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227). की विधिवत स्वीकृति 20 वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समर्त उपाय किये जावें।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती जाति को सहायता की जाए।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पथर काटने या भरने का कार्य द्वारा निर्माण का कार्य से अलग होना चाहिए।

Signature valid

RajKai Ref
5290872



Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2024.01.05 17:47:12 IST
Reason: Approved

8. प्रस्तावित स्थल के आस पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता एजेंसी निर्धारित मापदण्ड अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।
9. प्रयोक्ता एजेंसी अपने व्यय पर वन खण्ड लोटियाझीर से सौ मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेच के आस पास वन भूमि की फेंसिस करवायेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देश की पालना करेगा।
12. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
13. सैद्वांतिक स्वीकृति दिनांक 22.10.2020 में वर्णित शर्तों की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
14. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।
15. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीया,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी

प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक—वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली—110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन ज्ञालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, कोटा
5. उप वन संरक्षक, ज्ञालावाड़।
6. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड—प्रथम, ज्ञालावाड़, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

Signature Valid

RajKaj Ref
5290812

Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2024.01.05 17:47:12 IST
Reason: Approved